भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-206

उत्तर देने की तारीख-04/08/2025

नीट परीक्षा

†*206. **डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) का राज्यों द्वारा व्यापक विरोध किए जाने की जानकारी है;

(ख) सरकार द्वारा हाल ही में हुई एनईईटी परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार की चिकित्सा प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन में राज्यों की स्वायत्तता बहाल करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ): विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

माननीय संसद सदस्य डॉ. कलानिधि वीरास्वामी द्वारा 'नीट परीक्षा' के संबंध में दिनांक 04.08.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 206 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ङ): माननीय उच्चतम न्यायालय के सीबीएसई बनाम टी.के. रंगराजन [सीए संख्या 11230/2018] के मामले में दिनांक 22 नवंबर 2018 को दिए गए इसके निर्णय के निदेशों के अनुपालन में, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) वर्ष 2019 से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-यूजी (नीट-यूजी) परीक्षा आयोजित कर रही है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) अधिनियम, 2019 की धारा 14 के अनुसार, देश की सभी चिकित्सा संस्थाओं में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु एक समान प्रवेश परीक्षा के रूप में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) आयोजित की जानी होती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक-समान प्रवेश परीक्षा आनुपातिकता की कसौटी पर खरी उतरती है और यह युक्तिसंगत है, दिनांक 29 अप्रैल 2020 के अपने निर्णय के माध्यम से क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन बनाम यूओआई एवं अन्य के मामले में सभी चिकित्सा संस्थाओं में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीट को एक-समान प्रवेश परीक्षा के रूप में मान्यता दी है। न्यायालय ने आगे कहा कि "..नीट के निर्धारण द्वारा नियामक उपायों का उद्देश्य शिक्षा को परोपकार के दायरे में लाना है, जो उसका मूल चरित्र था लेकिन अब समाप्त हो गया है। इसका उद्देश्य व्यवस्था में व्याप्त उन बुराइयों और विभिन्न कुप्रथाओं को समाप्त करना है जिन्होंने व्यवस्था को ख़राब कर दिया है..."

एनटीए द्वारा दिनांक 4 मई 2025 को देश भर के 552 शहरों और भारत के बाहर 14 शहरों में स्थित 5468 अलग-अलग केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थियों हेतु नीट (यूजी)-2025 परीक्षा आयोजित की गई थी। नीट (यूजी) परीक्षा का परिणाम दिनांक 14 जून, 2025 को सफलतापूर्वक घोषित कर दिया गया है।

एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष आयोजन हेतु प्रभावी उपाय सुझाने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 22.06.2024 को विशेषज्ञों की एक उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसीई) का गठन किया। इस समिति ने दिनांक 21.10.2024 को मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। एनटीए को सुदृढ़ बनाने के लिए, एनटीए में 16 नवीन पद सृजित किए गए हैं, जिनमें से निदेशक और संयुक्त निदेशक स्तर पर प्रत्येक के लिए 8 पद हैं। राज्यों और जिलों के साथ संस्थागत संबंध स्थापित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, एचएलसीई की सिफारिशों के अनुसार, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय संचालन समिति पहले ही गठित की जा चुकी है जो एनटीए द्वारा राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के आयोजन में सुधारों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।

****